प्रेस विज्ञप्ति

10.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने बिहार की तत्कालीन उच्च शिक्षा उप निदेशक श्रीमती विभा कुमारी की आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 2.50 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अचल संपत्तियां उनके नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत हैं और पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर व दिल्ली में स्थित हैं।

ईडी ने आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), बिहार, पटना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत श्रीमती विभा कुमारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि श्रीमती विभा कुमारी, तत्कालीन उच्च शिक्षा उप निदेशक, बिहार, पटना और अन्य ने अपनी सेवा अवधि के दौरान भ्रष्ट और अवैध तरीकों को अपनाकर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा दर्ज एफआईआर में अनुपातहीन संपत्ति की गणना 1.88 करोड़ रुपये (लगभग) की गई है।

ईडी की जांच से पता चला है कि अपनी सेवा अवधि के दौरान श्रीमती विभा कुमारी ने अपराध की आय (पीओसी) का इस्तेमाल स्वयं, अपने पति, अपने पुत्र और एक दूर के रिश्तेदार के नाम पर 6 अचल संपत्तियां, 7 वाहन खरीदने और बड़ी संख्या में सावधि जमाएं करने के लिए किया। इसी अवधि के दौरान उन्होंने अपराध की आय का प्रयोग अपने पति के पैतृक गांव में एक आलीशान घर बनाने के लिए किया। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि श्रीमती विभा कुमारी ने अपने दूर के रिश्तेदार के नाम पर वाहन खरीदा ताकि उनके असली मालिकाना हक को छिपाया जा सके।

आगे की जांच जारी है।

*****